FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी , मुकाम नीमकाथाना (राज.)

विजय कुमार बनाम भूमिधारी नीमकाथाना

किस्म मुकदमा वाद पत्र 88 मु0 न.0 539/सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1115

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर वाद पत्र पेश हुआ। वादी की ओर से श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट उपस्थित। वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, रिकार्ड दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 21.01.2025 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	
	21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/3/25 को पेश हो।	
	11/03/2025 राजकीय अवकाश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहरीर जारी होकर व तलबी प्रतिवादी मिसल दिनांक 17/04/25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुइ। वकुलाए उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 07/5/25 को पेश हों।	
	7/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-7-25 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

12/7 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय [illegible]
P.O. [illegible] दीगर कार्य मे व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/7/25
को पेश हो।

3/7 पत्रावली पेश हुई। [illegible]
[illegible]
दिनांक 12/8/25 [illegible]

5/8/25

पत्रावली पेश हुई। [illegible]
P.O. [illegible] व्यस्त है
[illegible] दिनांक 12/8/25

12/08/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी के पिता का गलत नाम "बालू पुत्र फूलचन्द" दर्ज हैं जबकि वादी ने पिता का नाम "बालू पुत्र फूलचन्द" की जगह "बा[illegible]" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि सं[illegible] दस्तावेजात यथा– आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajvee
Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:5
Reason: SelfAttested

आदेश

तन ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1469 रकबा 1. 26 है0 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम ''बालू पुत्र फूलचन्द'' के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ''बाबूलाल पुत्र फूलचन्द'' दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह** यादव **R.A.S.**

1. विजय कुमार सक्सैना पुत्र श्री बाबुलाल सक्सैना जाति कायस्थ निवासी वार्ड नं. 11 दर्जीयों का मोहल्ला मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं. 539 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री जितेन्द्र यादव एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन **ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1469 रकबा 1.26 है0 में वादी के पिता का गलत दर्ज नाम "बालू पुत्र फूलचन्द" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "बाबूलाल पुत्र फूलचन्द" दुरूस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज....................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 12 माह 08 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इज... हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.28 12:31:52 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।